



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-16/2020- 780

दिनांक : 30.12.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह
पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रु0 361.880 (तीन करोड़ एकसठ लाख अठासी हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2020-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-33/2020-33/आ0 व0प0 दिनांक 10.12.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 361.880 (तीन करोड़ एकसठ लाख अठासी हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	269.178
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	92.702
कुल :-		361.880

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

(Signature)

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुनर्जनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।
- इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।
5. वन सर्वेक्षण कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।
7. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

12. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

13. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(vi) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vii) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(viii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

14. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

15. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Invome Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

16. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।



17. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका-17 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

21. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं

व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2341 दिनांक-04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

24. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

25. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक-1951 दिनांक-24.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थल विवरणी स्थल चयन समिति से अनुमोदित नहीं है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदित स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में जी०पी०एस० कॉ-ऑर्डिनेट्स एवं प्लॉट नं० अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी०पी०एस० कॉ-ऑर्डिनेट्स एवं प्लॉट नं० उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची
^

ज्ञापांक- 01/यो०ब०-16/2020- 780 दिनांक- 30.12.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची
^

ज्ञापांक- 01/यो०ब०-16/2020- 780 दिनांक- 30.12.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची
^

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			38454.00	13243.14	51697.14
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	300	115.362	39.729	155.091
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	150	57.681	19.865	77.546
3	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	250	96.135	33.108	129.243
कुल योग:-		700	269.178	92.702	361.880

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

295.80

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	887.40	0.00	887.40	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे०	30	8874.00	0.00	8874.00	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान- ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	5916.00	0.00	5916.00	औसतन 200 पौधे प्रति हे० रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंटूर ट्रेंच - 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।		40	11832.00	500.00	12332.00	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेंच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1774.80	0.00	1774.80	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	15	4437.00		4437.00	नोट देखें
8	स्थायी पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	591.60	960.40	1552.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	591.60	0.00	591.60	
	योग-		130.00	38454.00	13243.14	51697.14	

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	680.00	640.00	1320.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1496.00	0.00	1496.00	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1700.00	0.00	1700.00	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1360.00	0.00	1360.00	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2482.00	0.00	2482.00	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग-		22.70	7718.00	1140.00	8858.00	
(C)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2854.30	0.00	2854.30	घेरान, कटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/सिंगलिंग
	योग-		7.30	2854.30	0.00	2854.30	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3285.00	0.00	3285.00	घेरान, कटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/सिंगलिंग
	योग-		7.30	3285.00	0.00	3285.00	
	सकल योग -		167.30	52311.30	14383.14	66694.44	

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जाएंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
		जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ	राजगढ़	खरगडीहा-300	N24°27'06" E86°07'54"	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12	50
		गिरिडीह वनरोपण प्रक्षेत्र	बेंगाबाद	अरटाका	बेंगाबाद-01जी०	N24°19'14" E86°15'36"	17, 113, 121, 183, 212, 234, 261, 297, 492, 468, 213UN, 85UD, 24UD, 292UD, 294UD, 1150UD, 1450UD , 1207UD, 1213UD	40
		गिरिडीह वनरोपण प्रक्षेत्र	बेंगाबाद	नईटांड	बेंगाबाद-03जी०	N24°18'08" E86°15'15"	1, 3, 4, 5, 6, 11, 47, 105, 104UN, 77UN, 27UN, 21UD	25
		गिरिडीह वनरोपण प्रक्षेत्र	गिरिडीह	मखरिया	गिरिडीह-417	N24°15'627" E86°10'004"	76p, 57, 74, 85	45
		बेंगाबाद वनरोपण प्रक्षेत्र	बेंगाबाद	मोहनियापहाड़ी	बेंगाबाद-123	N24°22" E86°20'3"	198, 81, 144, 174, 117, 106, 167, 175, 178, 181, 184, 192, 185, 164, 179, 172, 166	25
		बेंगाबाद वनरोपण प्रक्षेत्र	गिरिडीह	तिलबोना	बेंगाबाद-379	N24°18'27" E86°25'19"	31, 13, 43, 64, 122, 167, 231, 660, 643, 659, 603, 677, 480, 474, 437, 664, 947, 1329, 1438, 1481, 1428, 1252, 679, 1470, 15, 16, 14, 948, 980, 1253, 25, 175	35
		बेंगाबाद वनरोपण प्रक्षेत्र	गाण्डेय	कुसुम्मा	गिरिडीह-जी० 342	N24°12'26" E86°24'34"	01, 06, 19, 733, 611, 595, 965, 957, 35, 981, 953, 735, 948, 947, 956, 949, 734, 946, 952, 666, 4, 3, 16	25
		डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार	गादी खुर्द	खरगडीहा-228	N24°31'44" E85°59'20"	145, 178, 183, 187, 189, 1/201	55
	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह							300

क्र० स०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना स०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे०)
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	गिरिडीह	पीरटांड	पाण्डयडीह	पीरटांड-10			50
		गांवा	गांवा	साखम	गांवा-27			50
		खुरयुडा	बेंगाबाद	मोतीलेदा	बेंगाबाद-56जी			50
योग:-								
3	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	तोपचांची	टुण्डी	टुण्डी पहाड़	टुण्डी-132	N23°57'35.66" E86°25'15.06"	582P	50
		धनबाद	गोविन्दपुर	आमाघाटा	गोविन्दपुर-170	N23°54'36.50" E86°17'33.94"	1287, 1680, 2036, 2099	50
		धनबाद	गोविन्दपुर	चटुडीह, गोडतोपा	गोविन्दपुर-171, 184	N23°48.377 E86°30.271 N23°48.131 E86°30.397	190/1030	50
		टुण्डी	टुण्डी	मछियारा	टुण्डी-06	N23°00'46.45" E86°20'29.45"	477, 372, 374, 160, 930	50
		टुण्डी	टुण्डी	कोलाहीर- रोहिणीकुण्ड	टुण्डी-200, 123	N23°57'43.68" E86°28'05.54"	5, 01	50
योग:-								
कुल योग:-								
250								
700								

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-16/2020/780

दिनांक - 30-Dec-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66959	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR.DIV.	11,536,200.00 रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख छत्तीस हजार दो सौ
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66963	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अड़सठ हजार एक सौ

17,304,300.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ तीहत्तर लाख चार हजार तीन सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66965	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	9,613,500.00 रुपये छयानवे लाख तेरह हजार पाँच सौ
4	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66972	GRDFOR003 SHABA ALAM.ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	3,972,900.00 रुपये उनचासीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ
5	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66974	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पाँच सौ

योग:

15,572,900.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड अठाइस लाख सित्योत्तर हजार दो सौ

32,877,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601789400323	66975	DHNFOR001	3,310,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये तैतीस लाख दस हजार आठ सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DIVISIONAL FOREST OFFICER	
	40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

3,310,800.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड इकसठ लाख अठ्यासी हजार

36,188,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND